न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रणव सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 115/2021
उनवान

1. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—ः प्रार्थी।

बनाम

1. कान्तिलाल पिता भेमा जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
2. रूप पत्नि कान्तिलाल जाति भील निवासी केसरपुरा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—ः अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेश (माही परियोजना के सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय), नियम 1984

निर्णय

दिनांकः29.7.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम केसरपूरा के खाता संख्या 384 के सर्वे न. 940 रकबा 0.27 हे0 किस्म इ.च. लगान 0.40 भूमि माही कमाण्ड क्षेत्र भूमि आवंटन एवं विकय नियम 1984 के अधीन दिनांक 27.01.2006 को तत्समय भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटि श्री कांतिलाल पुत्र मेमा भील व रूप पत्नि कांतिलाल भील निवासी केसरपूरा को गैर खातेदारी हक पर भूमि आवंटन किया गया था जिसकी पुष्टि में आवंटन आदेश की प्रति संलग्न है परंतु तत्समय से आज दिनांक तक मौके पर आवंटि द्वारा कोई कब्जों काश्त नहीं कर मौके पर भूमि पर राजकीय उपस्वास्थ केन्द्र/पटवार घर पक्का व आवासीय मकान व माही केनाल निर्मित होकर वर्तमान में भूमि काश्त योग्य नहीं है। आवटी द्वारा आवंटन के पश्चात् व आवंटन के पूर्व उक्त भूमि में कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि में खसरा गिरदावरी की नकल अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत की। ग्राम केसरपूरा के सर्वे न. 940 रकबा 0.21हे. में से रकबा 0.02 हे. पर उपस्वास्थ केन्द्र और रकबा 0.02 हे भूमि पर पटवार घर व रकबा 0.03 हे. पर माही नहर मौके पर बने हुए है। शेष रकबा 0.14 हे0 पर अन्य व्यक्तियों के आवासीय मकान बने होकर मौके पर निवासरत है। आवंटी श्री कांतिलाल पुत्र भेमा भील व रूप पनि कांतिलाल भील निवासी केसरपूरा का उक्त खसरा नं. 240 रकबा 0.21 हे. भूमि पर आवंटन वक्त से आज दिनांक तक कब्जा जाहिर होना नहीं बताया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु मौका पर्चा व खसरा चौसाला संवत 2066–2077 तक की नकल संलग्न प्रस्तुत की गई। वर्तमान में उक्त आवंटन राजहित व आमजनों के लिये निरस्त किया जाना काबिल योग्य है। उक्त बाद पत्र अंदर मयाद जाहिर आने पर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र माही कमाण्ड क्षेत्र भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1984 के नियम 17 के तहत निरस्त कराने बाबत् पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री मुकेश त्रिवेदी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी 01 व 02 को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:47 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते, 1955 की धारा 20 काश्तकारों के लिए अतिरिक्त प्रसंविदायें :– यदि अनुदान कृषि प्रयोजन के रूप में हो, तो अनुदानग्रहीता, चाहे गौर– खातेदारी काश्तकारी के रूप में या खातेदारी अधिकारों के प्रदान किये जाने से, निम्नलिखित अतिरिक्त बाध्यताओं से आबद्ध होगा तथा रहेगा और उनके सम्यक् सम्पादन तथा पालन करने के लिए एक प्रसंविदा किया हुआ होना समझा जायेगा :–

(1) भूमि की क्षति – भूमि का इस रूप में उपयोग, काश्त या प्रबन्ध न करना, जिससे कि वह कृषि प्रयोजन के अनुपयुक्त हो जाये।

(2) अनुदान के प्रारम्भ की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अनुदान के कृषि योग्य क्षेत्र के एक तिहाई भाग को काश्त के अधीन लाना तथा उसके बाद सदैव आधे क्षेत्र को काश्त के अधीन रखना :

[2][परंतु सभी प्रकार के नये आवंटी, जैसे भूतपूर्व जागीरदार, भूमिहीन काश्तकार, भूमिपूर्व सैनिक, निष्कासित मुसलमान, ग्राम पंचायतें, निर्योग्य भूतपूर्व सैनिक, तथा भूतपूर्व प्रतिरक्षाकर्मियों के आश्रित, राजनैतिक पीड़ित, शौर्य पुरस्कार धारक, भाखड़ा (पंजाब) के घोषित भूमिहीन काश्तकार, विस्थापित कृषक या बहिष्कृत किए गए व्यक्ति, गाडोलिया लोहार एवं आंवटियों के समस्त अन्य विशेष प्रवर्ग, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नियत मूल्य पर उपनिवेश में भूमि आवंटित की जा चुकी है या आंवटित की जानी है, कब्जा सौंपे जाने की तिथि के दो वर्ष के भीतर आवंटित की गई समस्त भूमि को अधिभोग में लेने और उस पर काश्त करने के लिए आबद्ध होंगे। यदि दो वर्ष के भीतर भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटी को भूमि को काश्त के अधीन लाने के लिए एक सूचना जारी की जायेगी और तब भी यदि भूमि पर कलक्टर के समाधान स्वरूप तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि पर काश्त नहीं की जाती है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और भूमि किसी प्रतिकर का संदाय किए बिना राज्य सरकार को पुनर्ग्रहित हो जाएगी :

राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 के नियम :–

13 (ख) आवंटी सम्पूर्ण आवंटी भूमि को दो वर्ष के भीतर काश्त करने के लिए आबद्ध होगा। इस शर्त को पूर्ण करने में उसके विफल रहने पर भूमि का आवंटन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और आवंटन के रद्दकरण पर ऐसी भूमि विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार को वापस हो जायेगी तथा आवंटी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

15 (4) (iv) यदि किसी समय यह प्रकट हो कि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई सूचना असत्य है या कोई आवंटी भूमि पर व्यक्तिगत रूप से काश्त करने में विफल रहा है, तो आवंटित सम्पूर्ण भूमि प्रतिकर का संदाय किये बिना आवंटन प्राधिकारी द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:47 IST
Reason: SelfAttested

17. आवंटन का रद्दकरण :– (1) यदि [illegible] यह प्रकट हो कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का कोई आवंटन, [illegible] द्वारा पेश किये गये आवेदन में या किसी अन्य दस्तावेज में तथ्यों के गलत कथन [illegible] हुआ है, तो आवंटन प्राधिकारी, ऐसे आवंटन को रद्द करने का आ[illegible] प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि में पुनः प्रवेश करने तथा उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा :

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज खसरा चौसाला संवत 2066–2077 की नकल एवं मौकापर्चा के अवलोकन से यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का आवंटित भूमि पर आवंटन समय से कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि पर वर्तमान् में उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं पटवार भवन तथा अन्य लोगो के मकान बने हुए है।

अतः आवंटन सलाहकार समिति के आदेश क्रमांक 810–814 दिनांक 8.5.2006 द्वारा पटवार हल्का केसरपुरा के मौजा केसरपुरा की खसरा 940 रकबा 0.21 हे0 भूमि का खातेदार कान्तिलाल पिता भेमा एवं श्रीमती रूप पत्नि कांन्तिलाल जाति भील निवासी केसरपुरा के हक में किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार अरथूना को निर्देशित किया जाता है कि मौजा केसरपुरा के खसरा संख्या 940 रकबा 0.21 हे0 भूमि पुनः सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज लियाजाय।

निर्णय आज दिनांक 29 .7.2025 को सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner